न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/200

भंवरलाल आत्मज औंकार जाति गूर्जर निवासी पून्या देवरी तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0।

––अपीलान्ट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा।
2. नगर विकास न्यास कोटा जरिये सचिव, नगर विकास न्यास कोटा।

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री संजय पाटोदी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री शम्भूदयाल विजय, अभिभाषक, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से।

निर्णय • **दिनांकः 17.11.2025**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 44/2024(2024/74) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2025 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम धर्मपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 19 की 1.00 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिस पर वादी का 30 वर्षों से भी अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है तथा वादी ने ही उक्त भूमि को काबिल काश्त बनाकर उस पर कृषि कार्य करना प्रारम्भ किया था। उक्त भूमि को दिनांक 15.06.2002 को उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा आवंटित किया गया तथा आवंटन आदेश वादी के पक्ष में जारी किया गया एवं सम्पूर्ण राशि नियमानुसार वादी द्वारा जमा करवा दी गई और तभी से वादी निरन्तर उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा वादी द्वारा आवंटन नियमों की सम्पूर्ण पालना की गई है। उक्त भूमि आवंटन होने के

न्यायालय विधी, न्याय एवं संचिका मे सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा

पश्चात आवंटन की समस्त राशि वादी द्वारा जमा करवा दी गई है तथा आवंटन नियमों की पालना की गई है किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त आवंटन का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया जबकि उक्त आवंटन आज दिनांक तक भी प्रभावशील है तथा वादी नियमानुसार वादग्रस्त भूमि का कूननी रूप से खातेदार हो गया है। इस कारण वादी राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाकर उक्त आवंटन का इन्द्राज करवाने एवं स्वयं को खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है। इस हेतु वाद पेश करना आवश्यक हो गया है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 19 रकबा 1.00 हैक्टेयर वाके ग्राम धर्मपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की भूमि वादी के खाते दर्ज नहीं की जाती है तो वादी को अपरिमित क्षति होगी तथा वादी को अपने संवेधानिक अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से नहीं हो सकेगी। वादी को राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि के इन्द्राज होने की पूर्व में कोई जानकारी नहीं हो सकी। वाद कारण पटवारी हल्का द्वारा जानकारी देने पर व अंतिम बार दिनांक 01.03.2019 को वादी द्वारा उक्त भूमि को उसके खाते दर्ज करवाने की कहने पर उनके द्वारा मना करने से उत्पन्न हुआ है। अन्त में वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित किए जाने का निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 19 की रकबा 1.00 हैक्टेयर वाके ग्राम धर्मपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

3. उक्त आशय का वाद पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 06.11.2018 के द्वारा वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इन्द्राज दुरूस्ती करते हुए वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को ग्राम धर्मपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा के खसरा नम्बर 19 की 1.00 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किए जानेकी निर्णय व डिक्री पारित की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.11.2018 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 2 नगर विकास न्यास कोटा द्वारा न्यायालय हाजा में अपील पेश की गई जो इस न्यायालय की अपील संख्या 2021/104 पर दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय द्वारा उक्त अपील संख्या 2021/104 अपने निर्णय दिनांक 22.05.2024 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.04.2025 को वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ

न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2025 को निरस्त फरमाया जावे।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यान पूर्वक अवलोकन किये बिना ही निर्णय एवं डिक्री प्रदान कर, दावा वादी खारिज कर दिया, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है, तथा निरस्तनीय है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया है, कि पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नही थी, कि वादी का आवंटन निरस्त कर दिया गया हो, परन्तु फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के वादी का आवंटन निरस्त होना मानकर निर्णय एवं डिक्री प्रदान कर दिया, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है. तथा निरस्तनीय है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और भी कोई ध्यान नहीं दिया है, कि वादी का आवंटन आज दिनांक तक भी निरस्त नही हुआ है, तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा उसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में नहीं करके त्रुटि की है, इस कारण राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि एवं लापरवाही के लिये वादी अपीलाण्ट को जिम्मेदार नही ठहराया जा सकता है, तथा वादी अपीलाण्ट को आवंटित की गई भूमि भारयुक्त भूमि की परिभाषा में आती है, इस कारण उसे प्रतिवादी कम–2 को या किसी अन्य को पुनः आवंटित करने का प्रतिवादी कम–1 को कोई अधिकार प्राप्त नही है, तथा ऐसे आवंटन से प्रतिवादी, रेस्पोण्डेन्ट कम–2 को कोई अधिकार प्राप्त नही होता है, परन्तु उक्त समस्त तथ्यों को नजरअन्दाज कर योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री प्रदान कर दिया, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है. तथा निरस्तनीय है । योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और भी कोई ध्यान नही दिया है, कि वादी का वाद पूर्व मे माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री किया गया था, उक्त आदेश के विरूद्ध प्रतिवादी रेस्पोण्डेन्ट नम्बर–1 द्वारा कोई अपील नही की गई, केवल मात्र रेस्पोण्डेन्ट नम्बर–2 द्वारा एक तरफा आदेश के विरूद्ध अपील की गई, तथा केवल मात्र प्रतिवादी रेस्पोण्डेन्ट कम–2 को सुनवाई का अवसर देकर माननीय अपीलीय न्यायालयं द्वारा रिमाण्ड आदेश

पारित किया गया। वाद में प्रतिवादी क्रम–1 द्वारा वादी के आवंटन के सम्बन्ध मे कोई आपत्ति नही की, इस प्रकार प्रतिवादी, रेस्पोण्डेन्ट क्रम–2 को उक्त भूमि मे वादी का आवंटन निरस्त हुऐ बिना कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है, तथा योग्य अधीनस्थ न्यायालय को केवल मात्र प्रतिवादी रेस्पोण्डेन्ट नम्बर–2 की सीमा तक ही पुनः सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित किया जाना चाहिऐ था, तथा प्रतिवादी रेस्पोण्डेन्ट क्रम–2 द्वारा कोई साक्ष्य माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत नहीं की गई, परन्तु फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को नजरअन्दाज कर बिना किसी आधार के दावा वादी निरस्त कर दिया, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है, तथा निरस्तनीय है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2025 निरस्त किए जाने तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को ग्राम धर्मपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खसरा नम्बर–19 की 1.00 हैक्टयर का खातेदार घोषित किए जाने का निवेदन किया।

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक भूमि है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा काश्त व हक अधिकार नहीं है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त आराजी नगर विकास न्यास कोटा की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। वादी अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे वादग्रस्त आराजी का उसको विधिवत् रूप से आंवटन होना प्रकट होता हो। कोई दखलनामा भी वादी अपीलांट द्वारा पेश नहीं किया गया है। वादी अपीलांट का आवंटन निरस्त किया जा चुका है अतः वर्तमान में वादी अपीलांट को वादग्रस्त आराजी में कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर प्रकरण में समुचित तनकीयात कायम की गई है। अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्येक तनकी का विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2025 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2025 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न प्रदर्श–1A आंवटन आदेश है जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि दिनांक 15.06.2002 को वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित किए जाने का अंकन है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 14.07.2020 की है जिसके अनुसार प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 19 रकबा 3.60 हैक्टेयर में से 1.00 हैक्टेयर भूमि पर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा काश्त होने का अंकन है। वादी अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 19 रकबा 3.60 हैक्टेयर में से 1.00 हैक्टेयर स्वयं को आवंटित होने का कथन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.11.2020 में वादी अपीलांट को वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 19 रकबा 1 हैक्टेयर का खातेदार घोषित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा 152 सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा उक्त प्रार्थना–पत्र में खसरा संख्या 19 के मोके पर, देवनारायण आवासीय योजना विकसित होने का अंकन किया गया है तथा उक्त खसरा संख्या 19 रकबा 1 हैक्टेयर आवंटनशुदा भूमि की एवज में ग्राम धर्मपुरा की खसरा संख्या 64 रकबा 26.99 हैक्टेयर में से 1 हैक्टेयर भूमि का स्वयं को खातेदार घोषित किए जाने का अनुतोष चाहा है। कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा के पत्र दिनांक 07.03.2025 में खसरा संख्या 64 का बाद तरमीम नया खसरा 135/1029 रकबा 24.13 हैक्टेयर बनने का अंकन है तथा बाद तरमीमी खसरा संख्या 1035/129 के मोके पर देवनारायण आवासीय योजना, ग्रामीण आबादी एवं कोटा से धर्मपुरा जाने वाली सड़क के किनारे न्यास की उक्त भूमि में वादी भवंरलाल पुत्र औंकार जाति गूर्जर निवासी पून्या देवरी द्वारा 0.60 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा करके गेहूँ की फसल होने का अंकन किया गया है। वादी अपीलांट द्वारा ना तो कोई आवंटन मिसल प्रस्तुत की गई है और ना ही स्वयं की तथाकथित आवंटनशुदा भूमि का दखलनामा पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में दिए गए अपने बयानो में वादी अपीलांट का स्वयं का कथन है कि मुझे दखलनामा नहीं दिया गया तथा ना ही मेरी गैर खातेदारी में दर्ज हुई है। अतः वादग्रस्त आराजी के मोके पर अपीलांट को दखल दिया जाकर कब्जा सुपुर्द किया जाना प्रकट नहीं होता है। अपीलांट द्वारा स्वयं कथन किया गया है कि वादी को आवंटित खसरा संख्या 19 के स्थान पर उक्त भूमि की एवज में ग्राम धर्मपुरा की खसरा संख्या 64 रकबा 1 हैक्टेयर मोके पर खाली छोड़ी गई है तथा उक्त खाली छोड़ी गई खसरा संख्या 64 की 1 हैक्टेयर भूमि पर वादी अपीलांट काबिज होकर काश्त कर रहा है। पटवार मण्डल धर्मपुरा की रिपोर्ट दिनांक 10.03.2025 में वादी भंवरलाल पुत्र औंकार का कब्जा ग्राम धर्मपुरा की आराजी खसरा संख्या 606/64 रकबा 1 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय होने का अंकन है। वादी अपीलांट द्वारा कोई आवंटन मिसल, शुल्क जमा रसीद, दखलनामा आदि दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए है। साथ ही पत्रावली में

उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादी अपीलांट द्वारा स्वयं को तथाकथित रूप से आवंटित प्रश्नगत भूमि पर अपीलांट वर्तमान में काबिज काश्त नहीं है। अतः वादी अपीलांट द्वारा आवंटन शर्तो की निरन्तर पालना किए जाने के तथ्य को प्रमाणित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्यों एवं कब्जे काश्त के अभाव में वादी अपीलांट वादग्रस्त आराजी को स्वयं की खातेदारी में दर्ज करवाने का अधिकारी नहीं है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2025 में वादी अपीलांट की ओर से वादग्रस्त आराजी के भू–आवंटन राशि की रसीद एवं आवंटन नियमों की पालना नहीं होने के आधार पर वाद खारिज किए जाने का जो आदेश अंकित किया गया है वह विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2025 विधि सम्मत होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2025 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो व नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

10. निर्णय आज दिनांक 17.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/11/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

Judl/Govt.
Part 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मुरलीधर प्रतिहार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2025 / 200

भंवरलाल आत्मज औंकार जाति गूर्जर निवासी पून्या देवरी तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0।

——अपीलान्ट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा।
2. नगर विकास न्यास कोटा जरिये सचिव, नगर विकास न्यास कोटा।

——रेस्पोडेन्टगण

वाद संख्याः 44 / 2024(2024 / 74)

भंवरलाल आत्मज औंकार जाति गूर्जर निवासी पून्या देवरी तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0।

– वादी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा।
2. नगर विकास न्यास कोटा जरिये सचिव, नगर विकास न्यास कोटा।

–प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद संख्या 44 / 2024(2024 / 74) में न्यायालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.04.2025 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय

द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त अपील तारीख 17.11.2025 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री संजय पाटोदी, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री शम्भूदयाल विजय के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया जाता है कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सहायक कलेक्टर मुख्यालय कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 44/2024 (2024/74) में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.04.2025 यथावत रखी जाती है।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

4. यह डिक्री आज तारीख 17.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

17/11/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा